



सत्यमेव जयते

राजस्थान राज-पत्र
विशेषांक

साधिकार प्रकाशित

RAJASTHAN GAZETTE

Extraordinary

Published by Authority

आश्विन 27, बुधवार, शाके 1934-अक्टूबर 19, 2016
Asvina 27, Wednesday, Saka 1934-October 19, 2016

भाग 1 (ख)

महत्वपूर्ण सरकारी आज्ञायें।

प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय विभाग

(अनुभाग-1)

अधिसूचना

जयपुर, अक्टूबर 10, 2016

संख्या प.13(1)प्र.सु./सम./अनु-1/2008:- राजस्थान लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2011 (2011 का अधिनियम संख्यांक 23) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये राज्य सरकार एतद्वारा इस विभाग की अधिसूचना संख्या प.13(1)प्र.सु./सम./अनु-1/2008 दिनांक 5 अक्टूबर, 2011 समय-समय पर यथा संशोधित, में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:-

संशोधन

उक्त अधिसूचना की सारणी के कॉलम संख्या 1 के क्रम संख्यांक 18 व उसकी प्रविष्टियों के पश्चात् निम्न नया क्रम संख्यांक 19 एवं उनकी प्रविष्टियाँ जोड़ी जावेंगी, अर्थात् :-

19	राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग	114	बीमा ऋण	10 दिवस	सहायक/उप/संयुक्त निदेशक	पर्यवेक्षण, बीमा	वरिष्ठ अतिरिक्त निदेशक/ अतिरिक्त निदेशक (संभागीय अधिकारी)	निदेशक	-
		115	बीमा स्वत्व	21 दिवस	सहायक/उप/संयुक्त निदेशक	पर्यवेक्षण, बीमा	वरिष्ठ अतिरिक्त निदेशक/ अतिरिक्त निदेशक (संभागीय अधिकारी)	निदेशक	-
		116	बीमा पॉलिसी, जारी करना	प्रथम कटौती के 2 माह	सहायक/उप/संयुक्त निदेशक	पर्यवेक्षण, बीमा	वरिष्ठ अतिरिक्त निदेशक/ अतिरिक्त निदेशक (संभागीय अधिकारी)	निदेशक	-
		117	जीपीएफ पासबुक एवं बीमा रेकार्ड बुक का सत्यापन	7 दिवस	सहायक/उप/संयुक्त निदेशक	पर्यवेक्षण, बीमा	वरिष्ठ अतिरिक्त निदेशक/ अतिरिक्त निदेशक (संभागीय अधिकारी)	निदेशक	-
		118	जीपीएफ अंतिम आहरण	15 दिवस	सहायक/उप/संयुक्त निदेशक	पर्यवेक्षण, बीमा	वरिष्ठ अतिरिक्त निदेशक/ अतिरिक्त निदेशक (संभागीय अधिकारी)	निदेशक	-
		119	जीपीएफ	21 दिवस	सहायक/उप/	पर्यवेक्षण	वरिष्ठ अतिरिक्त	निदेशक	-

		स्वतन्त्र		संयुक्त निदेशक	, बीमा	निदेशक/ अतिरिक्त निदेशक (संभागीय अधिकारी)		
120	बीमा/जीपीए फ खाता स्थानान्तरण	30 दिवस (मुख्यालय एवं संभागीय स्तर पर प्रति माह क्लीयरिंग हाउस का आयोजन किया जाता है)	सहायक/उप/ संयुक्त निदेशक	पर्यवेक्षण , बीमा	वरिष्ठ अतिरिक्त निदेशक/ अतिरिक्त निदेशक (संभागीय अधिकारी)	निदेशक	-	
121	अधिक जोखिम वहन करना	कटौती के दो माह में	सहायक/उप/ संयुक्त निदेशक	पर्यवेक्षण , बीमा	वरिष्ठ अतिरिक्त निदेशक/ अतिरिक्त निदेशक (संभागीय अधिकारी)	निदेशक	-	
122	साधारण बीमा योजना दावा	21 दिवस	सहायक/उप/ संयुक्त निदेशक	पर्यवेक्षण , बीमा	वरिष्ठ अतिरिक्त निदेशक/ अतिरिक्त निदेशक (संभागीय अधिकारी)	निदेशक	-	
123	विधार्थी दुर्घटना बीमा योजना दावा	15 दिवस	सहायक/उप/ संयुक्त निदेशक	पर्यवेक्षण , बीमा	वरिष्ठ अतिरिक्त निदेशक/ अतिरिक्त निदेशक (संभागीय अधिकारी)	निदेशक	-	
124	समुह दुर्घटना बीमा योजना	21 दिवस	सहायक/उप/ संयुक्त निदेशक	पर्यवेक्षण , बीमा	वरिष्ठ अतिरिक्त निदेशक/ अतिरिक्त निदेशक (संभागीय अधिकारी)	निदेशक	-	
125	मेडिकलेम	30 दिवस	सहायक/उप/ संयुक्त निदेशक	पर्यवेक्षण , बीमा	वरिष्ठ अतिरिक्त निदेशक/ अतिरिक्त निदेशक (संभागीय अधिकारी)	निदेशक	-	
126	प्रान जारी करना	20 दिवस	सहायक/उप/ संयुक्त निदेशक	पर्यवेक्षण , बीमा	वरिष्ठ अतिरिक्त निदेशक/ अतिरिक्त निदेशक (संभागीय अधिकारी)	निदेशक	-	

राज्यपाल के आदेश से,

पवन कुमार गोयल
प्रमुख शासन सचिव

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।

नोट:- अधिसूचना संख्या प.13(1)प्र.सु./सम./अनु-1/2008 दिनांक 05.10.2011 में सारणी के कॉलम संख्या 1 के क्रम संख्यांक 18 व उसकी प्रविष्टियों के पश्चात् राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग का नया क्रम संख्यांक 19 एवं उनकी प्रविष्टियाँ जोड़ी जावेंगी।